

FORM NO. III


फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत तहसीलदार मण्डावर मुकाम-मण्डावर (दौसा)

सरकार बनाम हीरालाल

किस्म मुकदमा- भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या-17 सन्-2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर-17/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
27.12.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2078 ग्राम मुनापुरा भूमि ख0न0 111 रकबा 0.0050 है0 राजकीय सिवायचक भूमि किस्म गै0मु0 रास्ता पर गैरसायल हीरालाल पुत्र रामफूल मीना जाति मीना निवासी मुनापुरा द्वारा जोत लगाकर कर अतिक्रमण कर लिया गया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल को राजस्थान भू0-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर भी गैर सायल उपस्थित नहीं हुआ। अतः गैरसायल के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अम्ल में लायी गई।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैरसायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू-राजस्व लगान दर 0.20 रूपये का 50 गुणा 10 रूपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है।</p> <p>बेदखल वसूली हेतु आई0एल0आर0/पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद लकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;"> तहसीलदार तहसील मण्डावर (दौसा)</p> <p style="text-align: left;">रा0 ल0 सं0 4 वर्ष-2078 की पू0 सं0-14 पर-10 रु क मांग कायम की गई। तहसील राजस्व लेखाकार</p>	